



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/ वि.अ/निलम्बित/2015/2654 जयपुर, दिनांक:- 18/12/15

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 1374 दिनांक 24.6.15 द्वारा श्री रामकिशोर जाट, सहायक अभियन्ता (जल संसाधन विभाग), तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति गढी जिला बांसवाडा, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर इनका मुख्यालय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर किया गया था।

श्री जाट के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लम्बित जांच प्रकरण विचाराधीन रखते हुये श्री जाट को निलम्बन से बहाल किया जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री जाट के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण विचाराधीन रखते हुये निलम्बन से बहाल किया जाकर यथावत पंचायत समिति गढी जिला बांसवाडा के पद पर रखा जाता है।

(गिरीश प्रराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर बांसवाडा।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति गढी जिला बांसवाडा।
8. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
9. विकास अधिकारी (जांच) शाखा, मुख्यालय।
10. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)